फाइल नं0-71-3002(002)/36/2023-03

132/2023/I/438525/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 01 दिसम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/592, दिनांक 31.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज़-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में शासनादेश दिनॉक 28.11.2023 द्वारा (बी0एम0 प्रपत्र में) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 23482.03 लाख (रू0 दो अरब चौंतीस करोड़ बयासी लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(6) धनराशि को कोषागार से संस्थान/मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

(7) प्रश्नगत उपकरणों/फर्नीचर का क्रय पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा। जिन उपकरणों/फर्नीचर का स्पेशिफिकेशन निर्धारित नही है, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं मेडिकल कालेज के अन्य विशेषज्ञों की समिति गठित कर स्पेशिफिकेशन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त उपकरणों का क्रय किया जाय।

(8) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपकरण/फर्नीचर क्रय किये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था/वित्त नियंत्रक/प्रधानाचार्य/क्रय समिति की होगी।

(10) डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण/फर्नीचर क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

(11) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(13) उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

(14) उपकरण/फर्नीचर के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत फेज़-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलैन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031058909 (मेडिकल कालेज, बिजनौर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058909 मेडिकल कालेज, बिजनौर	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000** **(रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058910 (मेडिकल कालेज, कुशीनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058910 मेडिकल कालेज, कुशीनगर	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000** **(रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 4210031058911 (मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058911 मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058912 (मेडिकल कालेज, गोण्डा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058912 मेडिकल कालेज, गोण्डा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058913 (मेडिकल कालेज, ललितपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058913 मेडिकल कालेज, ललितपुर	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058914 (मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058914 मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058915 (मेडिकल कालेज, चन्दौली)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058915 मेडिकल कालेज, चन्दौली	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 4210031058916 (मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058916 मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058917 (मेडिकल कालेज, सोनभद्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058917 मेडिकल कालेज, सोनभद्र	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058918 (मेडिकल कालेज, पीलीभीत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058918 मेडिकल कालेज, पीलीभीत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058919 (मेडिकल कालेज, औरैया)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058919 मेडिकल कालेज, औरैया	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058920 (मेडिकल कालेज, कानपुर देहात)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058920 मेडिकल कालेज, कानपुर देहात	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 4210031058921 (मेडिकल कालेज, कौशाम्बी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058921 मेडिकल कालेज, कौशाम्बी	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**16,55,31,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058922 (मेडिकल कालेज, अमेठी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058922 मेडिकल कालेज, अमेठी	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	19,63,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ त्रेसठ लाख मात्र)
	कुल			**19,63,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ त्रेसठ लाख मात्र)**

महायोग	2,34,82,03,000 (रुपये दो अरब चौंतीस करोड़ बयासी लाख तीन हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरैया, कौशाम्बी, पीलीभीत, अमेठी, गोण्डा, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चन्दौली, सोनभद्र, बिजनौर, ललितपुर तथा बुलन्दशहर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, औरैया, कौशाम्बी, पीलीभीत, अमेठी, गोण्डा, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चन्दौली, सोनभद्र, बिजनौर, ललितपुर तथा बुलन्दशहर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, औरैया, कौशाम्बी, पीलीभीत, अमेठी, गोण्डा, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चन्दौली, सोनभद्र, बिजनौर, ललितपुर तथा बुलन्दशहर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in